न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/13/2025	2025/133	05.05.2025	16.12.2025

01.किशन लाल पुत्र श्री सुखराम, उम्र करीब 61 साल, जाति मीना, निवासी ग्राम संकट तहसील राजगढ जिला अलवर राज.।

——अपीलाण्ट

बनाम

01.दौलत राम पुत्र स्व. श्री सेडूराम, उम्र करीब 66 साल, जाति धोबी, निवासी ग्राम संकट तहसील व जिला अलवर राज.।
02.करण सिंह पुत्र स्व. श्री सेबूराम, उम्र करीब 47 साल, जाति धोबी, निवासी ग्राम संकट तहसील व जिला अलवर राज।
03.चीनू थूनिया पुत्र स्व. श्री सूसाराम, उम्र करीब 45 साल, जाति धोबी, निवासी ग्राम संकट तहसील व जिला अलवर राज.।
04.मोनू थूनिया पुत्र स्व. श्री सूसाराम, उम्र करीब 48 साल, जाति धोबी, निवासी ग्राम संकट तहसील व जिला अलवर राज.।

——असल रेस्पोडेण्टान

05.हजारी लाल पुत्र श्री छोटेलाल, उम्र करीब 41 साल, जाति मीना, निवासी ग्राम संकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज.।
06.मुकेश कुमार पुत्र श्री छोटेलाल, उम्र करीब 39 साल, जाति मीना, निवासी ग्राम संकट तहसील राजगढ जिला अलवर राज.।
07.रमेश चन्द पुत्र श्री नानगा, उम्र करीब 51 साल, जाति मीना, निवासी ग्राम संकट तहसील राजगढ जिला अलवर राज.।

——तरतीबी रेस्पोडेण्टान

राजस्व प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज. दिनांक 24.12.2024 प्रकरण संख्या 01/2024–25 अन्तर्गत धारा 183 बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जिसके द्वारा विधि विरूद्ध व बेजा तरीक पर अपीलाण्ट को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किए गए। बमुराद मनसुखी उपरोक्त निर्णय तथा स्वीकार किये जाने अपील अपीलाण्ट व दीगर दादरसी।

उपस्थितः–

01. श्री दलेर सिंह —वकील अपीलाण्ट्स
02. श्री अमरीक सिंह —वकील रेस्पोडेन्ट्स

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील निर्णय न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज दिनांक 24.12.2024 प्रकरण संख्या 01/2024–25 से व्यथित होकर पेश की है। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि अपील विरुद्ध आलोच्य आज्ञा दिनांक 24.12.2024 न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज का है जो आदेश मिन अपीलाण्ट की गैर जानकारी एवं गैर मौजूदगी में पारित की गई इसलिए समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी। इसमें मुझ अपीलाण्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नहीं है। मुझ अपीलाण्ट को आलोच्य आदेश न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज, दिनाक 24.12. 2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.04.2025 को पटवारी हल्का से मौखिक रूप से हुयी। जिस पर दिनांक 08.04.2025 को आलोच्य आदेश की नकल हेतू आवेदन किया जो नकल दिनांक 17. 04.2025 को तैयार होकर दिनांक 21.04.2025 को सांयकाल प्राप्त हुई। जिससे अपील अन्दर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है। आदेश तहत अदालत दिनांक 24.12.2024 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 07.04.2025 तक का समय मुझे अपीलाण्ट की जानकारी के अभाव में तथा दिनांक 08.04. 2025 से 21.04.2025 का समय आलोच्य आदेश की नकल मिलने में व्यतीत होने के कारण मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य हैं जहाँ आदेश आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हो, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हो, वहा मियाद का बिन्दु गौण हो ज़ाता है। ऐसे आदेश को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। मियाद की कोई पाबन्दी नहीं है ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलाण्टान न्यायहित में अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है जिसके लिये प्रार्थना पत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हल्फनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण दौलतराम, करण सिंह पुत्रान स्व. श्री सेडूराम व चीनू थूनिया, मीनू थूनिया पुत्रान स्व. श्री सूसाराम जातियान धोबी निवासी संकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज. द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हाल खाता संख्या 672 के आराजी खसरा नम्बर 371 रकबा 0.14 हैक्टर, 492 रकबा 0.25 हैक्टर, 503 रकबा 0.12 हैक्टर व 504 रकबा 0.30 हैक्टर, कुल किता 04 रकबा 0.81 हैक्टर वाके ग्राम संकट तहसील राजगढ जिला अलवर का प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण अपने खाने कमाने के लिए दिल्ली निवास करते है और इसी बात का फायदा उठाकर अप्रार्थीगणो द्वारा करीब 3 वर्ष पूर्व मुठमर्दी से जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है प्रार्थीगण अनुसूचित जाति की श्रेणी का व्यक्ति है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अनाधिकृत कब्जे को हटवाया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा दिलाने का निवेदन किया गया है।

अधीनस्थ अदालत में प्रकरण संख्या 01/2024–25 अन्तर्गत धारा 183 बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। और उक्त प्रकरण का आलोच्य निर्णय दिनांक 24.12.2024 से निस्तारण किया जाकर अपीलाण्ट की बेदखल करने के आदेश विधि विरुद्ध व बेजा तरीके पर पारित किए गए है। विवादित भूमि हाल खाता संख्या 672 के आराजी खसरा नम्बर 371 रकबा 0.14 हैक्टर, 492 रकबा 0.25 हैक्टर, 503 रकबा 0.12 हैक्टर व 504 रकबा 0.30 हैक्टर, कुल किता 04 रकबा 0.81 हैक्टर वाके ग्राम संकट तहसील राजगढ जिला अलवर पर अपीलाण्ट बुजुर्गों के समय अपीलाण्ट के जन्म से पूर्व से लगातार काश्त करते चले आ रहे है तथा अपीलाण्ट उपरोक्त आराजी पर अतिक्रमी नहीं है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये, व बिना मौका निरीक्षण किये, अपीलाण्ट के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर धारा 183 बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट अदालत में पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जाँच किए व बिना मौका निरीक्षण किये, जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है, निरस्त फरमाया जावें, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलाण्ट को मौके की स्थित एवं विधि विरूद्ध नोटिस जारी किया गया। मिन अपीलाण्ट की तहत अदालत की पत्रावली में तामील नहीं हुई ना ही तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलाण्ट की एक पक्षीय कार्यवाही की गई ना ही मिन अपीलाण्ट जानकारी के अभाव में तहत अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ ना ही मिन अपीलाण्ट के द्वारा जानकारी के अभाव में तहत अदालत के समक्ष अपने जवाब व साक्ष्य पेश किये जा सके तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलाण्ट की उपस्थित के बावजुद आलोच्य आदेश में मिन अपीलाण्ट की विधिवत तामील के उपरान्त मिन अपीलाण्ट की ओर से एडवोकेट नरेश देवराज व एडवोकेट सुरेन्द्र कुमार बैरवा की उपस्थिति दर्ज की है जबकि मिन अपीलाण्ट के द्वारा प्रकरण की जानकारी नही होने के कारण स्वंय अथवा वकालतन तहत अदालत के समक्ष पेश ही नहीं हुआ तहत अदालत के द्वारा आलोच्य आदेश में खिलाफ रिकॉर्ड मिथ्या तथ्य दर्ज किये है जिससे अलोच्य आदेश निरस्तनीय है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत के समक्ष एडवोकेट नरेश देवराज एवं सुरेन्द्र कुमार बैरवा के द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा अप्रार्थी हजारी लाल, मुकेश कुमार व रमेश चन्द का प्रस्तुत किया गया है जिसमें मिन अपीलाण्ट का नाम व हस्ताक्षर नहीं है के बावजुद बैजा तौर पर तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलाण्ट के द्वारा एडवोकेट नरेश देवराज व सुरेन्द्र कुमार बैरवा की उपस्थिति होना गलत दर्ज किया है। अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने एवं अपीलाण्ट को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

गवाह पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट की बहस सुने बिना ही उक्त निणर्य पारित कर दिया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मिन अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय किया जाकर बेदखली की कार्यवाही अमल में लायी गई है, जबकि विधि शास्त्र का यह सिद्धान्त है, कि प्रभावित पक्षकारो को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए। जबकि इस प्रकरण में मिन अपीलाण्ट को नहीं सुना गया। ना साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया। इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। तहत अदालत के समक्ष एडवोकेट नरेश देवराज एवं सुरेन्द्र कुमार बैरवा के द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा अप्रार्थी हजारी लाल, मुकेश कुमार व रमेश चन्द का प्रस्तुत किया गया है जिसमें मिन अपीलाण्ट का नाम व हस्ताक्षर नही है के बावजुद बैजा तौर पर तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलाण्ट के द्वारा एडवोकेट नरेश देवराज व सुरेन्द्र कुमार बैरवा की उपस्थिति होना गलत दर्ज किया है। पटवारी हल्का द्वारा तहत अदालत के समक्ष बिना तथ्यो पर गौर किये, बिना रिकॉर्ड देखे, बिना पेमाईश किये, मौका रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गई है। जो केवल मात्र मिन अपीलाण्ट को हैरान, तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई है। जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। तहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का की मिथ्या एवं खिलाफ मौका गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये, मिन अपीलाण्ट के खिलाफ नोटिस जारी किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पूरी तरह भ्रामक एवं आधारहीन है। मिन अपीलाण्ट बुजुर्गान के समय से आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। मिन अपीलाण्ट का कब्जा जायज है, नाजायज कब्जा अथवा अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। तहसीलदार साहब ने ना तो मौके का निरीक्षण ही किया, और ना ही अपीलाण्ट का साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर ही दिया, और बिना समुचित सुनवाई किए, अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया है, निर्णय जेर बहस अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। निरस्त फरमाया जावे, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। मिन अपीलाण्ट निर्णय के दिन तहत अदालत में उपस्थित नही था। निर्णय तहत अदालत विधि विरूद्ध तथा तथ्यो के विपरीत एवं नियम व प्रक्रिया के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज. का निर्णय दिनांक 24.12.2024 बसिलसिले प्रकरण संख्या 01/2024–25 अन्तर्गत धारा 183 बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपास्त फरमाया जावे, एवं अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रदान की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉड तलब किया गया।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का भी अवलोकन किया गया। समस्त दस्तावेजात का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडन्ट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स को विवादित आराजी से बेदखल कराने हेतु पेश किया गया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये। क्योंकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स विवादित आराजी के खातेदार एवं अपने–अपने हिस्से अनुसार स्वामी है प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स धोबी जाति से होने के कारण अनुसूचित जाति की श्रेणी आता है। अप्रार्थीगण/अपीलांट्स अनुसूचित जन जाति की श्रेणी के हैं। पटवारी हल्का रिपोर्ट के कब्जा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

संबंधी तथ्य से स्पष्ट हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग के खातेदार की आराजी पर अनुसूचित जन जाति वर्ग के व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा पाया गया था। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को खाता संख्या 672 आराजी बसरा नम्बर 371/0.14 किस्म नहरी प्रथम, 492/0.25 किस्म नहरी प्रथम, 503/0,12 किस्म बारानी प्रथम व 504/0.30 किस्म नहरी प्रथम चाके ग्राम सकट तहसील राजगढ जिला अलवर से अप्रार्थीगण को बेदखल किया गया एवं सरह लगान 12. 93 का 50 गुना 647 रूपये शास्ती अधिरोपित की गई। अतिक्रमी को मौके से भौतिकरूप से बेदखली हेतु गिरदावर राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का सकट को आदेश दिये गये। पत्रावली में आए तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित हैं उनमें हस्तक्षेप किया यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024—25 उनवान दौलतराम बनाम हजारीलाल में पारित 24.12.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)